# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : रिव्यू– तीन / 2014

हरिनारायण तिवारी पुत्र श्री रामसेवक तिवारी, निवासी–ग्राम पतारा, तहसील गुनौर, जिला पन्ना (म.प्र.)

——आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ——अनावेदक

**रिव्यू अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 बावत् माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण क्रमांक– निगरानी / 3471–दो / 12, हरिनारायण तिवारी वि. म. प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 21 / 07 / 2014 के संबंध में।**

**माननीय महोदय,**

उपरोक्त प्रकरण में रिव्यू आवेदन आवेदक की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

**प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –**

1. यह कि, माननीय राजस्व न्यायालय ने आवेदक की निगरानी प्रकरण क्रमांक 3471–दो / 12 में पारित आदेश दिनांक 21 / 07 / 2014 पारित किया है। वह माननीय न्यायालय द्वारा बिना प्रकरण का परीक्षण किये आदेश पारित किया गया है। क्योंकि नायब तहसीलदार वृत अमानगंज के प्रकरण क्रमांक 50 / अ–19 / 95–96 में पारित आदेश दिनांक 25 / 09 / 96 से ग्राम ककरा की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 466, रकवा 1.70 हेक्टेयर का व्यवस्थापन किया गया है जिस व्यवस्थापन की जांच अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुनौर, जिल पन्ना द्वारा करायी गयी एवं जांच प्रतिवेदन दिनांक 11 / 06 / 2002 को कलेक्टर पन्ना को प्रेषित किया। जिसके आधार पर प्रकरण क्रमांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु–2715–तीन/2014 जिला पन्ना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 15–04–15 | आवेदक अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा व अनावेदक शासन की ओर से श्री डी0के0शुक्ला पेनल लॉयर उपस्थित । उन्हें रिव्यु की ग्राह्यता पर सुना । प्रकरण रिव्यु की ग्राह्यता पर आदेशार्थ ।<br><br>प्रशासकीय सदस्य | |
| 15–4–15 | उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3471–दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 21–7–2014 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।<br>2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–<br>1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।<br>2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।<br>3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण ।<br>आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों ।<br><br>प्रशासकीय सदस्य | |